राजस्थान सिविऱ ि◌े◌ि◌ा (ि◌े◌ि◌ा-मामऱों के सऱए अपीऱ अधिकरण) अधिननयम,1976

(अधिनियम संख्या 34,सि् 1976)

[राष्ट्रपनि की अिुमनि दिि◌ा◌ंक 7 मई,1976 को प्राप्ि◌ि हुई]

सेवा-मामऱों एवं उिके आिुषंधिक मामऱों के लऱये अपीऱ अधिकरण के ि◌ठि का उपबंि◌ करिे हेि◌ु अधिनियम ।

भारि ि◌णराज्य के सत्ताइसवें वषष में राजस्थाि◌ राज्य ववाि◌ि◌ मंडऱ निम्ि◌लऱखिि◌ अधिनियम बिाि◌ा ह ◌ः-

1. संक्षप्ि◌ ि◌ाम िथा प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का संक्षप्ि◌ ि◌ाम राजस्थाि◌ लसववऱ सेवा (सेवा-मामऱों के लऱए अपीऱ अधिकरण) अधिनियम, 1976 ह ।

(2) वह ऐसी ि◌ारीि◌ को प्रवृत्त होि◌ा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचिा द्वारा नियि करे।

2. पररभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब िक कक ववषय अथवा संिभष में अन्यथा अपेक्षि◌ ि हो-

(क) ‘‘लसववऱ सेवाएं’’ से राजस्थाि◌ राज्य की लसववऱ सेवाएं िथा ऐसी अन्य सेवाएं अलभप्रेि◌ ह जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में समय-समय पर अधिसूधचि की जायं ककन्ि◌ु इसमें
निम्ि◌लऱखिि◌ सम्म्मलऱि◌िहीं होि◌ीं:-

(i) राजस्थाि◌ उच्चिर न्यानयक सेवा िथा राजस्थाि◌ न्यानयक सेवा के सिस्य;

(ii) राजस्थाि◌ उच्च न्यायाऱय के कमषचारी;

(iii) राजस्थाि◌ ववाि◌ि◌ सभा सधचवाऱय स्टाफ के कमषचारी;

(iv) राजस्थाि◌ ऱोक सेवा आयोि◌ के कमषचारी;

(ि◌) ‘‘सरकार’’से राज्य सरकार अलभप्रेि◌ ह ;

(ि◌) ‘‘सरकारी कमषचारी’’ से ऐसा व्यम्ति अलभप्रेि◌ ह जो ककसी लसववऱ सेवा का सिस्य हो या रह चुका हो अथवा जो राजस्थाि◌ सरकार के अिीि◌ ककसी लसववऱ पि पर हो या रह चुका हो िथा इसमें ऐसा व्यम्ति सम्म्मलऱि ह जो ववेश सेवा में हो अथवा म्जसकी सेवाएं अस्थायी रूप में ककसी स्थाि◌ीय अथवा अन्य प्राधिकरण को सौंप िी ि◌ई हों िथा इसमें स्थाि◌ीय अथवा अन्य प्राधिकरण में सेवारि कोई ऐसा व्यम्ति, म्जसकी सेवाएं अस्थायी रूप में राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी ह अथवा संववि◌ा पर सेवारि व्यम्ति अथवा ऐसा व्यम्ति जो सरकारी सेवा से अन्य कहीं सेवानिवृत्त हो ि◌या हो और राजस्थाि◌ सरकार के अिीि◌ पुि◌ः नियोम्जि ककया ि◌या हो, भी सम्म्मलऱि ह ककन्ि◌ु इसमें भारि संघ अथवा ककसी राज्य सरकार की लसववऱ सेवा का राजस्थाि◌ में प्रनिनियुम्ति पर सेवारि व्यम्ति, जो उस पर ऱाि◌ू नियमों द्वारा शालसि होि◌ा रहेि◌ा, सम्म्मलऱि ि◌हीं ह ;

(घ) ‘‘ववदहि’’ से इस अधिनियम अथवा इसके अिीि◌ बिाये ि◌ये नियमों द्वारा ववदहि अलभप्रेि◌ ह ;

(ङ) ‘‘अधिकरण’’ से इस अधिनियम की ि◌ारा 3 के अिीि◌ ि◌दठि अधिकरण अलभप्रेि◌ ह ;

(च) ‘‘सेवा संबंि◌ी मामऱे’’ से ककसी सरकारी कमषचारी से सम्बधिि◌ निम्ि◌लऱखिि◌ मामऱों में से कोई एक अथवा एक से अधिक मामऱे अलभप्रेि◌ हैं-

(i) वररष्ठिा;

(ii) पिोन्ि◌नि;

(iii) पुष्टीकरण;

(iv) वेिि◌ म्स्थरीकरण;

(v) ककसी सरकारी कमषचारी के वेिि◌, भत्ते, पेंशि िथा अन्य सेवा शिों का उसके अदहि में इन्कार अथवा पररविषि करिे वाऱा कोई आिेश, जो बिौर शाम्स्ि◌से अन्यथा हो;

(vi) उच्च सेवा, श्रेणी अथवा पि पर स्थाि◌ापन्ि◌ होि◌े हुये निम्ि◌ सेवा श्रेणी अथवा पि पर पिावििि◌ी वाऱे मामऱे, जो बिौर शाम्स्ि◌ से अन्यथा हों;

(vii) पेंशि रोकिा अथवा अधिकिम पेंशि से इन्कार करिा, जो बिौर शाम्स्ि◌ से अन्यथा हो;

(viii) कोई अन्य मामऱा जो सरकार द्वारा अधिसूधचि ककया जायं।

3. अधिकरण का ि◌ठि िथा संरचिा.-(1) सरकार, राज-पत्र में अधिसूचिा द्वारा, ज सा वह आवश्यक समझें, एक या एक से अधिक अधिकरण समय-समय पर ि◌दठि कर सकेि◌ी। ऐसा प्रत्येक अधिकरण राजस्थाि◌ लसववऱ सेवा अपीऱ अधिकरण कहऱाएि◌ा।

(2) प्रत्येक अधिकरण में भारीय प्रशासनिक सेवा के अधि-वेिमाि स्िर का अधिकारी अध्यं होिा िथा कम से कम िो अन्य सिस्य होंिे म्जिमें से एक राजस्थाि उच्चिर न्यानयक सेवा का सिस्य होिा।

(3) अधिकरण के अध्यं और सिस्यों की अविी सामान्यि् िीि वषष की होिी िथावप राज्यपाऱ ककसी ववशेष कारणवश िीि वषष की काऱावधि समापि् होिे से पूवष भी अधिकरण के अध्यं अथवा ककसी भी सिस्य को प्रत्यावनिषि कर सकेंिे।

4. अधिकरण के कत्तषव्य.-(1) राजस्थाि लसववऱ सेवा अपीऱ अधिकरण ककसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा ककसी सरकारी कमषचारी के सेवा-ववषयक मामऱे अथवा उसकी व यम्तिक ह लसयि को प्रभावविकरिे वाऱे पाररि आिेश के ववरूद्ि अपीऱ सुिेिा।

(2) अधिकरण को ऐसे आिेश,म्जसके ववरूद्ि अपीऱ की िई ह , को पुष्ट् करिे, उसमें पररविषि करिे या उसे प्रत्यावृि करिे अथवा उसके द्वारा दिये िये निििेशों के अिुसार िये लसरे से ववनिम्श्िि करिे के लऱये मामऱे को प्रनिप्रेवषि करिे की शम्ति होिी।

@''**4**क.अपीऱ िब िक ग्रहण िहीं की जायेिी जब िक कक अन्य उपचार न्िशेष ि ककये िये हों.-(1) सामान्यि् अधिकरण अपीऱ को िब िक ग्रहण िहीं करेिा जब िक कक उसका इस बाि से समािाि िहीं हो जािा ह कक अपीऱाथी िे लशकायि को िूर करिे ववषयक सुसंिि सेवा नियमों के अिीि उसे उपऱब्ि समस्ि उपचारों का उपयोि कर लऱया ह ।

(2) उप-िारा (1) के प्रयोजिों के लऱए ककसी व्यम्ति को लशकायिों को िूर करिे ववषयक सुसंिि सेवा नियमों के अिीि उसे उपऱब्ि समस्ि उपचारों का उपयोि ककया हुआ समझा जायेिा –

(क) यदि कोई अंनिम आिेश, ऐसे व्यम्ति द्वारा लशकायिों के संबंि में की ियी अपीऱ या ककये िये अभ्यावेिि को िामंजूर करिे हुए, सरकार या अन्य प्राधिकारी, या ऐसे नियमों के अिीि ऐसा आिेश पाररि करिे के लऱए संम सलमनि या अधिकारी या अन्य व्यम्ति द्वारा ककया िया हो, या

@ अन्िि् स्थावपि द्वारा अधिसूचिा क्रमांक पं. 2(26)ववधि/2/2005, दििांक 24.10.2005.

(ि) जहां ऐसे व्यम्ति द्वारा की ियी अपीऱ या ककये िये अभ्यावेिि के संबंि में सरकार या अन्य प्राधिकारी या ऐसा आिेश पाररि करिे के लऱए संम सलमनि या अधिकारी या अन्य व्यम्ति द्वारा कोई भी अंनिम आिेश जारी िहीं ककया िया हो, उस िारीि से, म्जसको ऐसी अपीऱ की ियी हो या अभ्यावेिि ककया िया हो, यदि छह मास की काऱावधि समापि् हो ियी हो ।

स्पष्टीकरण.- इस िारा में अलभव्यम्ति ''लशकायिों को िूर करिे ववषयक सुसंिि सेवा नियमों'' से सेवा मामऱों के संबंि में ककन्हीं लशकायिों को इस अधिनियम के बबिा िूर करिे के संबंि में यथाप्रवृत्त नियम, ववनियम, आिेश या अन्य लिखि या ठहराव अलभप्रेि ह ।''

5. अधिकरण की प्रकक्रया.-(1) इस निलमत्त बिायें िये ककसी नियम के अध्यीि अधिकरण ऐसी प्रकक्रया का, जो वह् ठीक समझे, अिुसरण करेिा।

(2) अधिकरण के सम आिे वाऱे मामऱों की सुिवाई और उिका ववनिश्चय अधिकरण के कम से कम िो सिस्य करेंिे।

(3) अधिकरण का ववनिश्चय ऐसे सिस्यों के बहुमि का ववनिश्चय होिा जो उपम्स्थि हों और म्जन्होंिे मामऱे की सुिवाई की हो। जहां ऐसे सिस्य राय में समाि रूप से बंटे हों, वहां मामऱा अन्य सिस्य को निििेलशि ककया जायेिा और ऐसे सिस्यों , म्जन्होंिे इसकी सुिवाई की थी, को सम्म्मलऱि करिे हुए सिस्यों की बहुसंख्या की राय द्वारा ववनिम्श्िि ककया जायेिा।

6. अधिकरण की शम्तियां.-(1) अधिकरण को, इस अधिनियम के अिीि अपीऱ को निपटािे के प्रयोजिों के लऱये निम्िलऱखिि मामऱों के बारे में वही शम्तियां होिी जो ककसी लसववऱ न्यायाऱय को लसववऱ प्रकक्रया संदहिा, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5, सि् 1908) के अिीि ककसी वाि पर ववचारण करिे समय होिी ह , अथाषि् :-

(क) ककसी व्यम्ति को समि करिे िथा उसकी हाम्जरी **करान**s;

(ि) ककसी िस्िावेज का पिा **चऱाने** िथा उसे पेश करिे की अपेंा करिे; और

(ि) साक्ष्यों अथवा िस्िावेजों की परींा के लऱये कमीशि जारी करिे।

(2) अधिकरण ककसी ऐसे व्यम्ति की, म्जसकी छािबीि ककये जािे वाऱे मामऱे अथवा उसके सुसंिि ककसी िथ्य से अविि होिा अिुलमि हो, शपथ पर परींा कर सकेिा और उसकी साक्ष्य अलभलऱखिि कर सकेिा।

(3) अधिकरण के समं प्रकक्रयाएं, भारीय िण्ड संदहि, 1860 (केन्रीय अधिनियम सं. 45, सि् 1860) की िारा 193 के **अथों** में न्यानयक प्रकक्रयाएं समझी जायेंिी।

(4) िण्ड प्रकक्रया संदहि, 1973 (केन्रीय अधिनियम 2, सि् 1974) की िारा 345 िथा 346और न्यायाऱय अवमाि अधिनियम, 1971 (केन्रीय अधिनियम 70, सि् 1971) के प्रयोजिाथं अधिकरण को एक लसववऱ न्यायाऱय समझा जायेिा।

%''(5) अधिकरण, स्वप्रेरणा से या ककसी भी दहिबद्ि पंकार के आवेिि पर अपिे स्वंय के ववनिश्चय या आिेश का पुिववषऱोकि कर सकेिा और उसके प्रनि नििेश से ऐसा आिेश पाररि कर सकेिा जो वह न्यायसंिि और उधचि समझे:

परन्िु अधिकरण अपिे स्वंय के ववनिश्चय या आिेश का िबिक पुिववषऱोकि िहीं करेिा जब िक कक उसका यह समािाि िहीं हो जािा ह कक ऐसे िये और महत्वपूणष िथ्य या साक्ष्य का पिा चऱा ह जो सम्यक् ित्पररा बरिि के पश्चाि्, उस समय, जब ऐसा ववनिश्चय या

% अन्िि् स्थावपि द्वारा अधिसूचिा क्रमांक पं. 2(3)ववधि/2/2005, दििांक 10.03.2005.(सि व से जोडी हुई समझी जायेंिी)

आिेश ककया िया था, ऐसे पंकार की जािकारी में िहीं था या उसके द्वारा पेश िहीं ककया जा सका था या ऐसी कोई भूऱ या िऱिी रह ियी ह जो अलभऱेि के िेिि से ही प्रकट होिी ह :

परन्िु यह और कक इस उप-िारा के अिीि कोई भी आवेिि ऐसे ववनिश्चय या आिेश की िारीि से, म्जसका पुिववषऱोकि चाहा जा रहा ह , िीस दिि की समाम्प्ि के पश्चाि् अधिकरण को िहीं होसकेिा :

परन्िु यह भी कक आवेिि िीस दिि की उति काऱावधि के पश्चाि् िृहीि ककया जा सकेिा यदि आवेिक अधिकरण का यह समािाि कर िेिा ह कक उसके पास ऐसे समय के भीिर आवेिक फाइऱ िकरिे का पयाषप्ि हेिुक था।

(6) ककसी भी न्यायाऱय के ककसी भी निणषय, डडक्री, आिेश या नििेश में अन्िववष्ट ककसी बाि के होिे हुए भी, राजस्थाि लसववऱ सेवा (सेवा-मामऱों के लऱए अपीऱ अधिकरण) (संशोिि) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 2) के प्रारम्भ के पूवष, अधिकरण के अपिे स्वंय के ववनिश्चयों का पुिववषऱोकि करिे की उसकी िात्पनयषि शम्ति के अिुसरण में पाररि उसके आिेश उप-िारा (5) के उपबंिों के अिीि ववधिमान्य रूप से पाररि ककये हुए समझे जायेंिे और िििुसार प्रभावी होंिे।''

7. अधिकरण के समझ प्रनिनिधित्व.- सरकार िथा प्रभाववि पंकारों को ककसी प्रनिनिधि के माध्यम से या ककसी अधिविा द्वारा अधिकरण के समं प्रनिनिधित्व ककये जािे का अधिकार होिा।

8. अधिकरण का ववनिश्चय अम्न्िम होिा.- अधिकरण का ववनिश्चय अम्न्िम होिा और उसे अधिकरण द्वारा ववनिदिष्ट ककये जािे वाऱे युम्तियुति समय के भीिर **कायाम्न्वि** ककया जायेिा।

%''9. अपीऱों के लऱए पररसीमा.- (1) अधिकरण निम्िलऱखिि मामऱों में अपीऱों को ग्रहण िहीं करेिा :-

(क) ऐसे मामऱे में, जहां लशकायि के संबंि में िारा 4क की उप-िारा (2) के िण्ड (क) में यथावखणषि ऐसा अंनिम आिेश ककया िया ह , यदि अपीऱ उस िारीि से, म्जसको ऐसा अंनिम आिेश ककया िया ह , छह मास के भीिर भीिर िहीं की ियी ह :

(ि) ऐसे मामऱे में, जहां िारा 4क की उप-िारा (2) के िण्ड (ि) में यथावखणषि अपीऱ की ियी ह या अभ्यावेिि ककया िया ह और ऐसा अंनिम आिेश ककये बबिा उसके पश्चाि् छह मास की काऱावधि समाप्ि हो ियी ह , यदि अपीऱ छह मास की उति काऱावधि की समाम्प्ि की िारीि से छह मास के भीिर-भीिर िहीं की ियी ह , या

(ि) अन्य मामऱों में , यदि अपीऱ उस आिेश की िारीि से, म्जसके ववरूद्ि अपीऱ की ियी ह , छह मास के भीिर-भीिर िहीं की ियी ह ।

(2) उप-िारा (1) में ककसी बाि के होिे हुए भी, अपीऱ उप-िारा (1) में ववनिदिष्ट पररसीमा की काऱावधि के पश्चाि् भी ग्रहण की जा सकेिी यदि अपीऱाथी अधिकरण का यह समािाि कर िेिा ह कक ऐसी काऱावधि के भीिर-भीिर अपीऱ िहीं करिे का उसके पास पयाषप्ि कारण था।''

% प्रनिस्थावपि द्वारा' अधिसूचिा क्रमांक पं. 2(26)ववधि/2/2005, दििांक 24.10.2005.

10. लसववऱ न्यायाऱय की अधिकाररिा अपवम्जषि करिा.- इस अधिनियम के अिीि उद्भूि या इसके द्वारा उपबंधिि ककसी मामऱे के ववषय में ककसी लसववऱ न्यायाऱय में कोई वाि या अन्य कायंवादहयां स्वीकायं िहीं होंिी अथवा संम्स्थि िहीं की जा सकेंिी।

11. ऱंबबि मामऱों के बारे में ववशेष उपबंि.-इस अधिनियम में अन्िववष्ट ककसी बाि के होिे हुए भी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होिे की िारीि को ककसी लसववऱ न्यायाऱय में ऱंबबि ककसी सेवा मामऱे के बारे में समस्ि मामऱों का उस न्यायाऱय द्वारा सुिा जािा और ववनिम्श्चि ककया जािा जारी रहेिा मािो ं यह अधिनियम पाररि ही िहीं ककया िया हो।

12. नियम बिािे की शम्ति .- (1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचिा द्वारा इस अधिनियम के उपबंिो ं को कायाषम्न्वि करिे के प्रयोजि के लऱये नियम बिा सकेिी।

(2) इस अधिनियम के अिीि बिाये िये समस्ि नियम, उिके बिाये जािे के पश्चाि्, यथा-शीघ्र राज्य वविाि मंडऱ के सिि के समऺ जब कक उसका सत्र चऱ रहा हो, कम से कम चौिह दिि की ऐसी काऱावधि के लऱये रिे जायेंिे जो एक सत्र या िो क्रमविी सत्रों में समाववष्ट हो सकेिी और उस सत्र म्जसमें उन्हें रिा िया ह या उसके िुरन्ि बाि वाऱे सत्र की समाम्प्ि से पूवष राज्य वविाि मंडऱ का सिि यदि ऐसें नियमों मे से ककसी में कोई उपान्िरण करिा ह या यह निश्चय करिा ह कक ऐसा कोई नियम िहीं बिाया जाय, िो ित्पश्चाि् ऐसा नियम केवऱ ऐसे उपान्िरिि रूप मे ही प्रभावशीऱ होिा या यथाम्स्थनि, प्रभावशीऱ िहीं होिा, िथावप, ऐसा कोई उपान्िरण या निरस्िीकरण, उस नियम के िद्िीि की िई ककसी भी पूवंविी बाि की ववधिमान्यिा पर प्रनिकूऱ प्रभाव िहीं डाऱेिा।